Research Paper
E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 7 | ISSUE : 5 | MAY 2021

भारतीय शासनतंत्र में जनसहभागिता

डॉ. रामदीन कड़ेला [1]

[1] **प्राचार्य श्री आईजी महाविद्यालय बिलाड़ा (जोधपुर).**

ABSTRACT:

-

KEYWORDS:

-

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन में जनसहभागिता, स्वयंसिद्ध है। तीसरी दुनिया के देशों के 'विकास' के संदर्भ में सहभागिता के महत्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि दशकोंतक हुए विकास के माध्यम से प्राप्तप्रचुर अनुभव ने विश्वासोंत्पादकढंग से प्रमाणित किया कि 'सहभागिता' सार्थक और प्रमाणिक जन-केन्द्रित विकास की कुंजी है। तथापि, 'सहभागी शासन' में वर्तमान लहर 'सुशासन' प्रतिमान से संबंधित एक अधिक व्यापक सरोकार है।

औपनिवेशिक व्यवस्था से लेकर जनतंत्रात्मक प्रणाली में आए परिवर्तन के साथ राज्य के कार्यो में मूल भूत परिवर्तन आगया है। आज पुलिस राज्य से बदल कर राज्य का लोक कल्याणकारी रूप उभर आया है। एक प्रशासक के कत्र्तव्य की गरिमातथा जटिलता में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आ गया है। उसे विकासात्मक कार्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाना पड़ता है। उनमें अपने आपको उच्च एवं शक्तिमान समझकर अधिकारों का दुरूपयोग करने की प्रवृत्ति है। आज उन्हें नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप नागरिकों के साथ एक होना पड़ेगा, साथर होना पड़ेगा और उनकी वास्तविक मांगको समझना पड़ेगा।

लोकप्रशासन का जनता के लिए एकसाधन के रूपमें अस्तित्व है। लोकप्रशासन और जनता के मध्य संबंधों ने सरकारीतंत्र की भूमिका और इसके लोकजन के सदस्यों के पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण संकल्पनात्मक मुद्दे उठाए है।

आधुनिक समय में ऐसे शासन की आवश्यकता है। जिसका संचालनसमाज द्वारा किया जाता हो और तभी जनता अपने आप पर शासन करती है। एक जनतंत्रात्मक शासन में नागरिकों की आवश्यकता है न कि मुवक्किलों की। मुवक्किल ऐसेलोग होते है, जोकि बिचै लिए नेताओं पर निर्भर होते है, मुवक्किलप्रायः दूसरों पर निर्भर होते है, दूसरों के द्वारा नियन्त्रित होते है और इन्तजार करते रहते है कि दूसरे उनके लिए काम करेंगे । दूसरी तरफ नागरिक अपनी समस्याओं को स्वयं समझते है औ रउनका समाधान स्वयं ढूंढते है। अच्छे नागरिक सुदृढ़ समुदायों का निर्माण करते है और सुदृढ़ समुदाय एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते है।

जन-सहभागिता का तात्पर्य नागरिकों को निर्णय लेने, नीति बना ने और नीति क्रियान्वयन करने, प्रशासनिक प्रक्रियामें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने से है। जन-सहभागिता का तात्पर्य केवल आर्थिक और शारीरिक श्रम द्वारा मदद करना नहीं है। इसका अर्थ होता है किसमस्त विकास कार्यक्रम उनके है, उनके लिए है और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें ही करना है। वास्तविक अर्थ में, जब नागरिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर प्रशासनिक कार्य में हिस्सा लेते है तब नागरिक सहभागिता होती है। प्रशासन में नागरिक सहभागिताको 'सहभागीलोकतंत्र' के पर्याय के रूप में लिया जाता है जिसका विस्तार ग्रामीणस्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है।

अब यहव्यापक रूप से स्वीकारा जाता है किस क्रिय नागरिक भागीदारी से उत्तम शासन में निम्न प्रकार से योगदान मिल सकता है:-

1. यह नागरिकों को जवाब देही की मांग करने में समर्थ बनाती है और सरकारको अधिक प्रतिक्रियाशील, कुशल व प्रभावी बनाने में सहायता करती है।

2. यह सरकारी कार्य क्रमों और सेवाओं को और अधिक प्रभावीव संधारणीय बनाने में सहायता प्रदान करती है।

3. यह गरीबों और मार्जिनकृत लोगों को सरकारी नीति और सेवा सुपुर्दगीको उनका जीवन सुधारने के लिए प्रभावित करने में समर्थ बनाती है।

4. यहस्वस्थ, आधारस्तरीय प्रजातंत्र को प्रोन्नत करने में सहायता प्रदान करती है।

इस नए प्रतिमान के अन्तर्गत, नागरिकों को अब तक नीकी विशेषज्ञता के परिणामों और बाह्य रूप से मार्गदर्शित विकास कार्यक्रमों के मात्र लाभ प्राप्तकर्ता नहीं समझा जाता है। इसकी बजाय, उन्हें विकास प्रक्रिया में बराबर के लाभार्थी समझा जाता है। वस्तुतः एक प्रजातांत्रिक अधिकार के रूपमें जन भागीदारी, जिसे सभी विकास परियोजनाओं में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एक ध्योय के रूपमें न कि विकास के एक साधन मात्र के रूपमें, अधिकाधिक स्वीकार किया जाता है।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी होना इसकी सफलता के लिए बुनियादी बात है। जनसहभागिता केवल विकास प्रशासन का एक तत्त्वही है बल्कि यह विकास की प्रक्रिया का लक्ष्य भी है। वी. सुब्रह्मण्यम ने स्पष्टलिखा है कि किसी भी विकास कार्यक्रम की सफलता जनप्रति क्रिया पर निर्भर करती है, विशेष कर जनता के उस वर्ग की प्रति क्रिया पर जिस के हित के लिए कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है।

शासन में नागरिक भागीदारी, एक द्विपक्षीय कार्यकलाप है, जिसके अन्तर्गत सरकारी एजेंसियों और साथही सभी नागरिकों के लिए भी पूरीभागीदारीअनिवार्य है जिससे कि ऐसी भागीदारी के सुधरे आउटकम प्राप्तहोस कें, जैसे कि बेहतर सेवा प्रदान करना, सार्वजनिक नीति में परिवर्तन, शिकायतों का समाधान आदि। ऐसी भागीदारी की पद्धतिको विभिन्न किस्म के कार्यकलापों के साथ एक सीढ़ी के रूपमें बताया गया है जो भागीदारी की भिन्न-भिन्न मात्राओं अथवा गहनता की द्योतक है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है कि शासन में नागरिकों की भागीदारी के सम्बंध में पद्धतियों की निम्न लिखित रूपों से परिकल्पनाएं की जाएं:

1. जानकारी चाहने वाले नागरिक,

2. सुझाव देनेवाले नागरिक,

3. बेहतर सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक,

4. नागरिकों द्वारा सेवा प्रदाता व अन्य सरकारी एजेंसियों को जवाब देह ठहराया जाना और

5. प्रशासन/निर्णय निर्माण में सक्रिय नागरिक भागीदारी।

शासन में नागरिकों की भागीदारी की अवधारणा अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र पर आधारित है कि नागरिकों की उन निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में एक वैध भूमिका है, जो उनके जीवन, व्यापार और उनके समुदायों को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, नागरिकों की भागीदारी उस तंत्र और तौर तरीकों के लिए संदर्भित करती है जिसके द्वारा नागरिक संसाधनों और निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते है और उन परनियंत्रण ले सकते है जो उनके जीवन पर सीधे प्रभाव डालते है। वैचारिक स्तर पर, शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारीको एक स्वस्थलोकतंत्र के लिए योगदान के रूपमें देखा जाताहै, क्योंकि यह प्रतिनिध लोकतंत्र के पारम्परिक रूप में सुधार कर जमीनी स्तर के लोकतंत्र को एक अधिक संवेदनशील और सहभागी बनाती है।

प्रशासन में लोगों की भागीदारी का होना एक पारदर्शी, जवाबदेह, भागीदारीपूर्ण, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल सरकार सुनिश्चित करता है। हालां कि लोगों की भागीदारी बाधाओं से मुक्त नहीं है। इनमें से सब से बड़ी बाधा समाज में बड़े पैमा ने पर जड़ता का अस्तित्व होना हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उदासीनता और निष्क्रियता उत्पन्न होती है।

नागरिक भागीदारी कुछ पूर्व शर्तो की मांग करती है जो नागरिकों को अधिक प्रभावी भागीदार बनाने के लिए आवश्यक है। कुछ महत्त्वपूर्ण शर्तों में निम्नलिखित शामिल है: एक प्रबुद्ध राजनीतिक नेता, सक्षमनागरिक, ईमानदार लोक सेवक, सूचित और सहकारीजनता, यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी स्पष्ट और सटीक है, सुव्यवस्थित संचार नेटवर्क, अधिकारी और नागरिको दोनों के द्वारा जिम्मेदारी लेने की इच्छा का प्रदर्शनकरना, पर्यावरण का व्यवहारिक सर्वेक्षण करना, जिस के लिए वह अपेक्षित है और ग्रामीण और शहरी सभी स्तरों में भागीदारी होना। एक सच्चे प्रतिनिधिक और सह भागिता पूर्ण लोकतंत्र के लिए अधिकारियों और साथ ही आम लोगों की तरफ से इन शर्तो और क्रियाओं का होना आवश्यक है।

एक जनतंत्रात्मक और प्रभावशाली लोक प्रशासन के सम्बंध में धारणा है कि लोक प्रशासन जनता की इच्छानुसार या सहयोग पर टिका होना चाहिए। सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यो मेंजनता की इच्छाओं, लिप्साओं तथा मांगों की झलक होनी चाहिए।

स्वतंत्रता के बादभारत ने लोकतांत्रिक शासनव्यवस्था का ऐसा प्रतिमान अपनाया जिसमें शासनकार्यो के प्रबंध में जनसहभागिता की आवश्यकता को विशेषतौर से स्वीकार किया गया है। भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास में जनसहभागिताको उसके अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली। भारत में पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना की मुख्य ध्येय हैकि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यो में हाथ बंटाए और अपने पर राज करने की जिम्मेदारी स्वयंझेले। 1952 में अपनाए गए सामुदायिक विकासकार्यक्रम का आरम्भ इसलिए किया गया ताकि आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरूद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रतिदेश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रूचिपैदा की जासके। पहली से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप दस्तावेजों में योजना निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में नागरिकों की सहभागिता की आवश्यकता का उल्लेख बार-बार किया गया है, जिसका आवर्ती विकास योजनाओं में स्वयंजनता की सक्रियाप्रेरणा, सहभागिता और उन्हें शामिलकर के भारतीय जनमानस का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना है।

भारत में प्रशासन में जन सहभागिता को मूर्त रूप देने के निम्नांकित मंच है:

1. गांव, प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं।
2. राजनीतिक दलों के संगठन, सभाएं और गोष्ठियाँ।
3. दबाव तथा हितसमूह।
4. विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली गोष्ठियां और विचारविमर्श।
5. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियां एवं विचारविमर्श।
6. जिला स्तर पर जिला जनशिकायत निवारण समितियां।

जनता के विचारों, आकांक्षाओं और मांगोंकोरा जनीतिकदलों, दबावसमूहों, प्रेस औ रस्वयंसेवीसंस्थाओं जैसे विभिन्नअभिकरणों द्वारा भीव्यक्त किया जाता है। संस्थागत सहभागिता से संसद, राज्य विधानमण्डलों अथवा पंचायत राज संस्थाओं द्वारा सरकार की नीति तैयार करने में नागरिकों की सहभागिता का बोध होताहै।

वस्तुतः भारत में प्रशासन में जनता की सहभागिता की अभिवृद्धि के मार्ग में कई बाधाएं है। भारत में साक्षरता का निम्नस्तर पाया जाता है। निर्धनता, निष्क्रियता और न्यस्तस्वार्थों में व्यस्तता के कारण सार्वजनिक कार्यों में आम जनतामें उदासीनता की प्रवृत्तिपाई जाती है। औपनिवेशिक विरासत, सामाजिक एकता का अभाव और निरक्षरता के कारण लोग प्रशासनिक कार्यों में रूचि नहीं लेते। आमजनता की निष्क्रियताऔर जी हुजूरी की प्रवृत्ति के कारण नागरिक और प्रशासन के बीच सन्तुलितसम्बंध विकसित नहीं हो पाए है।

चूंकि भारत में विकास प्रशासन के प्रतिमान को क्रियान्वित किया जा रहा है, अतः प्रशासन में जनसहभागिता की अपरिहार्यता एक जनआन्दोलन के रूप में प्रतिबिम्बित होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल विकास का साधनही नहीं अपितु अपने आपमें एक विकास लक्ष्य भीहै।

REFERENCES

1. भट्टाचार्य मोहित, लोकप्रशासन के नयेआयाम, जवाहर पब्लिशर्स, 2010
2. चक्रवर्ती विद्युत, प्रकाश चंद, भारतीय प्रशासन-विकास एवं पद्धति, सेज पब्लिकेशन, 2017
3. फड़िया बी. एल., लोकप्रशासन-प्रशासनिक सिद्धांत, साहित्य भवन, 2018
4. शर्मा एम.पी., सदाना बी.एल., हरप्रीत कौर, लोकप्रशासन-सिद्धांत एवंव्यवहार, किताब महल, 2013
5. अवस्थी एवंमाहेश्वरी, लोकप्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 2014
6. चक्रवर्ती विद्युत, प्रकाश चंद, वैश्वीकृत दुनिया में लोकप्रशासन-सिद्धांत और पद्धतियां, सेज पब्लिकेशन, 2018